खास-खबरें

जनकल्याण शिविरों की अधिकारी कर रहे मानीटरिंग

रीवा। रीवा संभाग के सभी जिलों में 12 जून से 18 जून तक जनकल्याण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों के माध्यम से शासन की विभिन्न योजनाओं से पात्र हितग्राहियों के आवेदन पत्र भरवाए जा रहे हैं। जनकल्याण शिविरों की मानीटरिंग के लिए संभागीय अधिकारियों को जिम्मेदारी दी गई है। सभी अधिकारी क्षेत्र का भ्रमण करके विकासखण्ड मुख्यालयों तथा नगरीय निकायों में आयोजित शिविरों की मानीटरिंग कर रहे हैं। संयुक्त संचालक पशु चिकित्सा सेवाएं डॉ. पंकज सिंह ने सिंगरौली जिले में दो जनकल्याण शिविरों में शिरकत करके आवेदन पत्रों के निराकरण की जानकारी ली। उप संचालक उद्यानिकी अनिल सिंह ने मैहर जिले के ग्राम नौगवां में शामिल होकर विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। मुख्य अभियंता ऊर्जा प्रमा पाण्डेय ने रीवा जिले के गंगेव विकासखण्ड में आयोजित जनकल्याण शिविर में शामिल होकर आवेदन पत्रों के निराकरण की जानकारी ली तथा विभागीय योजनाओं की जानकारी दी। अधीक्षण यंत्री पीएचई महेन्द्र सिंह ने सतना जिले के रामपुर बघेलान तथा नागौद में जन कल्याण शिविर में शिरकत की। संयुक्त संचालक शिक्षा नीरव दीक्षित ने जनपद कार्यालय सोहावल में आयोजित शिविर तथा सीएल पटेल ने सोहावल एवं रीवा जिले के सिरमौर में आयोजित शिविरों में भाग लिया। संयुक्त संचालक महिला एवं बाल विकास शशिश्याम उइके ने रायपुर कर्चुलियान में आयोजित जनकल्याण शिवर में आवेदन पत्रों के निराकरण की जानकारी ली।

खाद वितरण व्यवस्था का किया निरीक्षण, टोकन प्रणाली, पेयजल एवं छाया की व्यवस्था सुनिश्चित करने के दिए निर्देश

किसानों को खाद प्राप्त करने में किसी प्रकार की असुविधा न हो : कलेक्टर

नईदुनिया प्रतिनिधि, सीधी : खरीफ सीजन की तैयारियों के बीच किसानों को समय पर एवं सुगमता से उर्वरक उपलब्ध कराने के उद्देश्य से कलेक्टर श्री विकास मिश्रा ने मध्य प्रदेश राज्य सहकारी विपणन संघ मर्यादित के वितरण केंद्र एवं भंडारण केंद्र सीधी का निरीक्षण कर खाद वितरण व्यवस्था का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने वितरण केंद्र पर उपलब्ध उर्वरकों की स्थिति, किसानों को खाद वितरण की प्रक्रिया तथा व्यवस्थाओं का बारीकी से अवलोकन करते हुए संबंधित अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

निरीक्षण के दौरान कलेक्टर श्री मिश्रा ने स्पष्ट रूप से कहा कि किसानों को खाद प्राप्त करने में किसी भी प्रकार की परेशानी या अनावश्यक इंतजार का सामना नहीं करना पड़े। उन्होंने सभी कृषि सहकारी संस्थाओं के प्रबंधकों को निर्देशित किया कि खाद वितरण पूरी पारदर्शिता एवं सुव्यवस्थित तरीके से किया जाए तथा किसानों को टोकन प्रदान कर क्रमवार उर्वरक उपलब्ध कराया जाए, जिससे भीड़भाड़ और अव्यवस्था की स्थिति निर्मित न हो।

कलेक्टर ने कहा कि वर्तमान में मौसम की परिस्थितियों को देखते हुए खाद वितरण केंद्रों पर किसानों के लिए छायादार बैठने की समुचित व्यवस्था, स्वच्छ पेयजल तथा अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कृषि विभाग के अधिकारियों को नियमित रूप से वितरण स्थलों का निरीक्षण करने और व्यवस्थाओं की सतत निगरानी रखने के निर्देश दिए।

कलेक्टर ने कहा कि किसानों को निर्धारित शासकीय दरों पर ही उर्वरक उपलब्ध कराया जाए। यदि किसी भी स्तर पर निर्धारित मूल्य से अधिक राशि वसूलने अथवा अनियमितता की शिकायत प्राप्त होती है तो संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि किसानों की शिकायतों का त्वरित निराकरण किया जाए तथा वितरण प्रक्रिया को पूरी तरह पारदर्शी बनाया जाए।

किसानों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए कलेक्टर ने खाद वितरण केंद्रों पर महिला एवं पुरुष किसानों के लिए अलग-अलग कतारें बनाने के निर्देश भी दिए, ताकि अनावश्यक भीड़ और असुविधा से बचा जा सके। उन्होंने कहा कि प्रशासन की प्राथमिकता है कि खरीफ सीजन के दौरान किसानों को समय पर पर्याप्त मात्रा में उर्वरक उपलब्ध हो और उन्हें किसी प्रकार की समस्या का सामना न करना पड़े।

निरीक्षण के दौरान उप संचालक कृषि, सहायक संचालक कृषि, उपायुक्त सहकारिता, मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला सहकारी केंद्रीय बैंक मर्यादित सहित कृषि एवं सहकारिता विभाग के संबंधित अधिकारी उपस्थित रहे। कलेक्टर ने सभी अधिकारियों को समन्वय के साथ कार्य करते हुए किसानों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता देने के निर्देश दिए।

अधिक से अधिक हितग्राही शिविर में आएं और योजनाओं का लाभ उठाएं : विधायक

बुढार में आयोजित किया गया जन कल्याण शिविर

नईदुनिया प्रतिनिधि, शहडोल : कलेक्टर डॉ. केदार सिंह के निर्देशानुसार शहडोल जिले के ग्राम पंचायतों में जन कल्याण शिविरो का आयोजन किया जा रहा है। उक्त शिविरों में विभागीय अधिकारियों द्वारा लोगो की समस्या एवं आवेदन प्राप्त किये जा रहे तथा यथासंभव निराकरण करने की कार्यवाही भी सुनिश्चित की जा रही है।

शिविर में आए लोगो को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओ की जानकारी देकर लोगो को लाभ लेने हेतु प्रेरित भी किया जा रहा है। इसी अनुक्रम में जनपद पंचायत बुढार में विधायक श्री जयसिंह मरावी की उपस्थिति में जन कल्याण शिविर आयोजित किया गया। विधायक श्री जयसिंह मरावी ने जन कल्याण शिविर को सम्बोधित करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव जी के नेतृत्व में प्रदेश भर में जन कल्याण शिविरो का आयोजन किया जा रहा है। इसका उददेश्य अंतिम छोर तक बैठक पात्र व्यक्तियो को केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओ का लाभ दिलाना एवं कोई भी पात्र हितग्राही योजना से वंचित न रहें। उन्होंने कहा कि जन कल्याण शिविर में ज्यादा से ज्यादा व्यक्ति आएं और पात्रतानुसार योजनाओ का लाभ उठाएं। जन कल्याण शिविर में आए व्यक्तियो की समस्या एवं शिकायतें सुनी गई एवं त्वरित निराकरण करने की कार्यवाही की गई। इस अवसर पर जनपद अध्यक्ष सुश्री उमा धुर्वे , अनुविभागीय अधिकारी राजस्व श्री दीपक मंडावी, जनपद उपाध्यक्ष श्री हर्षप्रताप सिंह, दौलत मनवानी, जनपद सदस्य सहित अन्य जनप्रतिनिधि, अधिकारी एवं हितग्राही उपस्थित रहें।

नगरीय परियोजना के कार्यों में गति लाएँ : कलेक्टर

जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक

नईदुनिया प्रतिनिधि, सतना : कलेक्टर डॉ. सतीश कुमार एस की अध्यक्षता में सोमवार को संपन्न नगरीय निकाय संस्थाओं की जिला स्तरीय निगरानी समिति की बैठक में नगर निगम सतना और जिले की अन्य नगर परिषदों में संचालित नगरीय विकास परियोजनाओं के विकास कार्यों की समीक्षा की गई। इस मौके पर महापौर योगेश ताम्रकार, आयुक्त नगर निगम शेर सिंह मीना, अपर कलेक्टर एवं परियोजना अधिकारी डूडा विकास सिंह, सीईओ जिला पंचायत शैलेन्द्र सिंह, एसडीएम सुभाष मिश्रा, जीतेन्द्र वर्मा, राहुल सिलाडिया, सुमेश द्विवेदी सहित सभी नगर परिषदों के सीएमओ उपस्थित रहे। कलेक्टर ने नगरीय निकायों में चल रही विकास परियोजनाओं के कार्यों को अपेक्षित गति लाकर समय-सीमा में गुणवत्ता के साथ पूरा करने के निर्देश दिये। उन्होंने कहा कि नगरीय निकायों की अमृत 2.0 मिशन योजना सहित अन्य परियोजनाओं कार्यों में भौतिक और वित्तीय प्रगति के प्रतिशत में अत्यधिक अंतर है। विकास कार्यों के लिए फण्ड-फ्लो बनाये रखे और यह भौतिक स्थिति और वित्तीय प्रगति में अंतर 10-15 प्रतिशत ही होना चाहिए, इससे अधिक नहीं हो। कलेक्टर ने नगर निगम सतना के अमृत 2.0 मिशन के तहत जल प्रदाय योजना, वाटर वाडी रिन्यूवेसन, सतना सीवरेज पैकेज-1, स्वच्छ भारत मिशन, ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सहित प्रधानमंत्री आवास शहरी योजना के बीएलसी, एएचपी घटक और प्रधानमंत्री आवास योजना 2.0 की प्रगति की समीक्षा की। इसी प्रकार इन्हीं परियोजनाओं के तहत नगर परिषदों में चल रहे विकास कार्यों की समीक्षा भी की गई।

कलेक्टर की अध्यक्षता में समय-सीमा बैठक आयोजित

जनकल्याण शिविरों के प्रभावी संचालन एवं विकास कार्यों में तेजी के निर्देश

नईदुनिया प्रतिनिधि, सिंगरौली : कलेक्टर गौरव बैनल की अध्यक्षता में सोमवार को कलेक्ट्रेट सभागार में समय-सीमा बैठक आयोजित की गई। बैठक में विभिन्न विभागों की योजनाओं, जनकल्याणकारी गतिविधियों तथा विकास कार्यों की समीक्षा करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए।

कलेक्टर श्री बैनल ने 12 जून से 18 जून तक जिले में संचालित जनकल्याण शिविरों की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि शिविरों में आने वाले प्रत्येक पात्र हितग्राही को शासन की जनकल्याणकारी योजनाओं का लाभ सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने कहा कि विकासखंड स्तर के सभी विभागीय अधिकारी शिविरों में अनिवार्य रूप से उपस्थित रहकर हितग्राहियों की समस्याओं का निराकरण करें तथा उन्हें योजनाओं से लाभान्वित करें। साथ ही ग्राम स्तर पर क्लस्टर निर्धारित कर जनकल्याण शिविरों का आयोजन किए जाने के निर्देश भी दिए। बैठक में समान नागरिक संहिता (यूसीसी) के संबंध में चर्चा करते हुए कलेक्टर ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि विभागीय अधिकारियों, कर्मचारियों एवं महाविद्यालयों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित कर अधिक से अधिक लोगों को अपने सुझाव निर्धारित पोर्टल ucc.mp.gov.in पर दर्ज कराने के लिए प्रेरित किया जाए। उन्होंने कहा कि जनभागीदारी के माध्यम से अधिकाधिक सुझाव प्राप्त करने के लिए व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाए। नगर निगम की समीक्षा के दौरान कलेक्टर ने आयुक्त को वर्षाकाल से पूर्व नालों एवं नालियों की समुचित सफाई कराने तथा उनमें कीटनाशक दवाओं का छिड़काव सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगरीय क्षेत्र में संभावित जलभराव एवं डूब क्षेत्र वाले स्थलों को चिन्हित कर आवश्यक तैयारियां समय रहते पूर्ण करने को कहा। इसके साथ ही जर्जर भवनों का सर्वे कर उनकी सूची एवं पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत करने तथा मॉडल रोड निर्माण कार्यों को वर्षा प्रारंभ होने से पहले पूर्ण कराने के निर्देश दिए।

नशामुक्त भारत अभियान के तहत 97 वॉलेन्टियर्स को दिया प्रशिक्षण

नईदुनिया प्रतिनिधि, बुरहानपुर : कलेक्टर हर्ष सिंह के निर्देशन एवं मार्गदर्शन में सोमवार को जिला बुरहानपुर में नशामुक्त भारत अभियान के अंतर्गत जिला स्तरीय एक दिवसीय नशामुक्ति जन-जागरूकता प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। मध्यप्रदेश जल एवं भूमि प्रबंधन संस्थान (वाल्मी), भोपाल के माध्यम से आयोजित इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में जिले के 97 मास्टर वॉलेन्टियर्स को नशे के दुष्प्रभावों, रोकथाम एवं जनजागरूकता संबंधी विषयों पर प्रशिक्षित किया गया।

प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में नशे के प्रति जागरूकता बढ़ाना तथा प्रशिक्षित वॉलेन्टियर्स के माध्यम से गांव-गांव और समुदाय स्तर तक नशामुक्ति का संदेश पहुंचाना था। कार्यक्रम में वाल्मी के मास्टर वॉलेन्टियर्स के साथ-साथ अशासकीय संस्थाओं, गायत्री परिवार, प्रजापिता ब्रह्माकुमारी ईश्वरीय संस्था के प्रतिनिधि, स्वास्थ्य विभाग, पुलिस प्रशासन, महिला एवं बाल विकास विभाग, स्कूल शिक्षा विभाग तथा उच्च शिक्षा विभाग के अधिकारी एवं कर्मचारी भी उपस्थित रहे। इस अवसर पर उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग श्री दुर्गेश दुबे ने प्रतिभागियों को संबोधित करते हुए कहा कि नशा, व्यक्ति, परिवार और समाज तीनों के लिए घातक है।

शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में जनकल्याण शिविरों का आयोजन

नईदुनिया प्रतिनिधि, रीवा : जिले के शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में शासन के निर्देशों के अनुरूप 12 जून से 18 जून तक जनकल्याण शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। शहरी क्षेत्र के लिए मुख्य नगर पालिका अधिकारी तथा ग्रामीण क्षेत्र के लिए संबंधित जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारियों को शिविर का नोडल अधिकारी बनाया गया है।

कलेक्टर नरेन्द्र कुमार सूर्यवंशी ने निर्देश दिये हैं कि शिविर में शासन की विभिन्न योजनाओं के छूटे हुए पात्र हितग्राहियों के आवेदन पत्र भरवाकर उन्हें योजनाओं से अनिवार्यतः लाभान्वित करें। शिविरों के माध्यम से शासन की प्रमुख योजनाओं और कार्यक्रमों की जानकारी दी जा रही है। शिविर में आमजनता से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों को संबंधित विभागों के माध्यम से सात दिन की समय सीमा में निराकृत करने की व्यवस्था भी की गई है। शिविरों में जिला और खण्ड स्तर के सभी अधिकारी शामिल हुए। शिविरों में प्रधानमंत्री किसान कल्याण योजना, प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना, वय वंदना योजना, आयुष्मान भारत योजना, प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना तथा अन्य योजनाओं के पात्र हितग्राहियों के आवेदन पत्र भरवाएं।

ब्रह्माकुमारीज़ ने मनाया विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस

रीवा। ब्रह्माकुमारीज़ इन्द्रानगर, रीवा द्वारा 'विश्व वृद्ध दुर्व्यवहार जागरूकता दिवस के अवसर पर एक विशेष जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य वरिष्ठ नागरिकों के सम्मान, सुरक्षा, अधिकारों एवं उनके प्रति सामाजिक संवेदनशीलता को बढ़ावा देना था। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए बीके नीरू बहन जी ने कहा कि वृद्धजन हमारे समाज की अमूल्य धरोहर हैं। उनके अनुभव, संस्कार और मार्गदर्शन से परिवार एवं समाज को दिशा मिलती है। उन्होंने कहा कि प्रत्येक व्यक्ति का दायित्व है कि वह अपने बुजुर्गों के प्रति प्रेम, सम्मान और संवेदनशीलता का भाव रखे तथा उनके साथ होने वाले किसी भी प्रकार के दुर्व्यवहार को रोकने के लिए सदैव सजग और जागरूक रहे। इस अवसर पर शेषमणि शुक्ला (बाबू जी) ने कहा कि वर्तमान समय में संयुक्त परिवारों के विघटन तथा व्यस्त जीवनशैली के कारण अनेक वृद्धजन उपेक्षा और अकेलेपन का सामना कर रहे हैं।

न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार
नर्मदापुरम नगर

रा.प्र.क्र. 006/अ-6/202627
ग्राम- डोंगरी

।। सार्वजनिक उद्घोषणा ।।

एतद् द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदक संदीप शर्मा एवं सुनील कुमार शर्मा दोनो पिता स्व. सत्यनारायण शर्मा निवासी दुर्गा बिहार आदर्श नगर नर्मदापुरम द्वारा नामांतरण न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार नर्मदापुरम नगर के समक्ष वसीयतनामा के आधार पर प्रस्तुत किया है जिसका राजस्व प्रकरण क्रमांक 0060/अ-6/202627 है जो वर्तमान में विचाराधीन है। स्वर्गीय सत्यनारायण शर्मा, वल्द पैयालाल शर्मा के नाम से मौजा डोंगरी स्थित भूमि खसरा नं. 2/5, प्लाट नं. 11, रकबा 1500 वर्गफुट राजस्व अभिलेखों में दर्ज है। स्वर्गीय सत्यनारायण शर्मा द्वारा अपने जीवनकाल में उक्त संपत्ति के संबंध में वसीयतनामा निष्पादित किया गया था, जिसके अनुसार उक्त संपत्ति उनके पुत्रगण संदीप शर्मा एवं सुनील कुमार शर्मा के नाम वसीयत की गई है। स्वर्गीय सत्यनारायण शर्मा के ज्ञात वारिसों में पत्नी सरोज शर्मा, पुत्रगण संदीप शर्मा, सुनील कुमार शर्मा, विनय शर्मा एवं पुत्री वंदना शर्मा शामिल हैं। आवेदकगण को वारिस विनय शर्मा के वर्तमान निवास स्थान एवं पते की जानकारी उपलब्ध नहीं है।

अतः विनय शर्मा अथवा किसी अन्य व्यक्ति/संस्था को उक्त संपत्ति, वसीयतनामा या उसके आधार पर की जाने वाली किसी कार्यवाही के संबंध में कोई दावा, आपत्ति, अधिकार अथवा हित हो, तो वे स्वयं/अधिवक्ता/एजेंट के माध्यम से निर्धारित पेशी दिनांक 19.06.2026 समय दोपहर 2.00 बजे तक अपने दावे/आपत्ति के समर्थन में आवश्यक दस्तावेजों सहित न्यायालय अतिरिक्त तहसीलदार नर्मदापुरम नगर के समक्ष प्रस्तुत करें।

निर्धारित अवधि में कोई दावा अथवा आपत्ति प्राप्त न होने पर यह माना जाएगा कि किसी को उक्त वसीयतनामा एवं संपत्ति के संबंध में कोई आपत्ति नहीं है।

जारी दिनांक:- 10.06.2026

अतिरिक्त तहसीलदार
नर्मदापुरम-नगर

कार्यालय अध्यक्ष, काउंसलिंग समिति
संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश
टैगोर छात्रावास क्रमांक-T2, प्रथम तल, श्यामला हिल्स, दूरदर्शन रोड, भोपाल-462002

ऑनलाइन काउंसलिंग समय सारणी, सत्र 2026-27 (C-18)

बी.फार्मेसी पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष (तृतीय सेमेस्टर) में लेटरल एण्ट्री के माध्यम से अर्हकारी परीक्षा के आधार पर
एवं
फार्म-डी (पीबी) पाठ्यक्रम के प्रथम वर्ष में अर्हकारी परीक्षा के आधार पर प्रवेश हेतु
(शासकीय, शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, अनुदान प्राप्त-सम विश्वविद्यालय (डीम्ड विश्वविद्यालय), स्वशासी एवं स्ववित्तीय-विश्वविद्यालयीन एवं निजी क्षेत्र की संस्थान)

केन्द्रीयकृत काउंसलिंग चरण	
गतिविधियां	**दिनांक/समय**
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन/रजिस्ट्रेशन निरस्त	01.07.2026 से 30.07.2026 रात्रि 11:45 बजे तक
रजिस्ट्रेशन में सुधार (Edit Registration) (सत्यापित उम्मीदवारों के लिये रजिस्ट्रेशन में सुधार की सुविधा, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि के पश्चात केवल एक बार उपलब्ध रहेगी)	31.07.2026 से 01.08.2026 सायं 5:30 बजे तक
संस्थाओं के प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करना (प्राथमिकताक्रम (Choice filling) में परिवर्तन की सुविधा अंतिम दो दिन उपलब्ध रहेगी)	20.07.2026 से 03.08.2026 रात्रि 11:45 बजे तक
कॉमन मेरिट सूची की उपलब्धता	04.08.2026
आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता/आवंटित संस्था में उपस्थिति (आवंटित संस्था में मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश)	10.08.2026 से 17.08.2026 सायं 6:30 बजे तक
संस्था स्तर की काउंसलिंग (CLC) **काउंसलिंग के केन्द्रीयकृत चरण उपरान्त रिक्त रह गई सीटों के लिये**	
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन	**प्रवेश के अवसर का दिनांक/समय**
19.08.2026 से 23.08.2026	24.08.2026 प्रातः 10:30 बजे से सायं 6:30 बजे तक
उपरोक्त काउंसलिंग उपरान्त रिक्त रह गई सीटों के लिये	
25.08.2026 से 29.08.2026	30.08.2026 प्रातः 10:30 बजे से सायं 6:30 बजे तक
उपरोक्त काउंसलिंग उपरान्त रिक्त रह गई सीटों के लिये	
10.09.2026 से 15.09.2026 अंतिम तिथि को रजिस्ट्रेशन दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा	15.09.2026 प्रातः 10:30 बजे से सायं 06:30 बजे तक

- प्रवेश नियम, विस्तृत समय-सारणी, अभ्यर्थी के लिये महत्वपूर्ण निर्देश, अधिकृत सहायता केन्द्रों की सूची आदि वेबसाइट **dte.mponline.gov.in** पर उपलब्ध है। काउंसलिंग में सम्मिलित होने के पूर्व इनका सूक्ष्मता से अध्ययन कर लें।
- संस्था स्तर की काउंसलिंग में **इच्छुक संस्था में प्रवेश का अवसर प्राप्त करने के लिये** निर्धारित तिथि पर संस्था में प्रातः 10:30 से दोपहर 1:00 बजे तक उपस्थित हुए अभ्यर्थियों की मेरिट तैयार कर, तदुपरान्त मेरिट के अनुसार प्रवेश किये जायेंगे।

प्रवेश निरस्त

- काउंसलिंग के किसी भी चरण में प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करने की अंतिम दिनांक/समय से आवंटन जारी होने तक तथा संस्था स्तर की काउंसलिंग (CLC) में, प्रवेश का अवसर प्राप्त करने की दिनांक को, प्रवेश निरस्तीकरण की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी।
- **संपर्क: -0755-6720205, 2660441 ई-मेल:- dte.helpcenter@mp.gov.in**

अतिरिक्त संचालक
तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

म.प्र. माध्यम/126405/2026

कार्यालय अध्यक्ष, काउंसलिंग समिति
संचालनालय तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश
टैगोर छात्रावास क्रमांक-T2, प्रथम तल, श्यामला हिल्स, दूरदर्शन रोड, भोपाल-462002

ऑनलाइन काउंसलिंग समय सारणी, सत्र 2026-27 (C-18)

मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (Master of Technology) पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा (GATE)/अर्हकारी परीक्षा एवं मास्टर ऑफ प्लानिंग (Master of Planning) पाठ्यक्रम में प्रवेश परीक्षा (GATE/NET)/अर्हकारी परीक्षा के आधार पर प्रथम वर्ष में प्रवेश
(शासकीय, शासन द्वारा घोषित स्वशासी, अनुदान प्राप्त अशासकीय, अनुदान प्राप्त-सम विश्वविद्यालय (डीम्ड विश्वविद्यालय), स्वशासी एवं स्ववित्तीय-विश्वविद्यालयीन एवं निजी क्षेत्र की संस्थान)

प्रथम चरण प्रवेश परीक्षा के वैध स्कोर (Valid Score Entrance Exam) के आधार पर	
गतिविधियां	**दिनांक/समय**
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन/रजिस्ट्रेशन निरस्त	17.06.2026 से 28.06.2026 रात्रि 11:45 बजे तक
रजिस्ट्रेशन में सुधार (Edit Registration) (सत्यापित उम्मीदवारों के लिये रजिस्ट्रेशन में सुधार की सुविधा, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि के पश्चात केवल एक बार उपलब्ध रहेगी)	29.06.2026 से 30.06.2026 सायं 5:30 बजे तक
संस्थाओं के प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करना (प्राथमिकताक्रम (Choice filling) में परिवर्तन की सुविधा अंतिम दो दिन उपलब्ध रहेगी)	18.06.2026 से 02.07.2026 रात्रि 11:45 बजे तक
कॉमन मेरिट सूची की उपलब्धता	03.07.2026
आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता/आवंटित संस्था में उपस्थिति (आवंटित संस्था में मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश)	08.07.2026 से 13.07.2026 सायं 6:30 बजे तक
मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (Master of Technology), मास्टर ऑफ प्लानिंग (Master of Planning) पाठ्यक्रमों में अर्हकारी परीक्षा के आधार पर **पंजीयन दिनांक 17 जून 2026 से 17 जुलाई 2026 तक उपलब्ध रहेंगे, शेष प्रक्रिया द्वितीय चरण अनुसार रहेगी।**	
द्वितीय चरण	
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन/रजिस्ट्रेशन निरस्त	12.07.2026 से 17.07.2026 रात्रि 11:45 बजे तक
रजिस्ट्रेशन में सुधार (Edit Registration) (सत्यापित उम्मीदवारों के लिये रजिस्ट्रेशन में सुधार की सुविधा, रजिस्ट्रेशन की अंतिम तिथि के पश्चात केवल एक बार उपलब्ध रहेगी)	18.07.2026 से 19.07.2026 सायं 5:30 बजे तक
संस्थाओं के प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करना (प्राथमिकताक्रम (Choice filling) में परिवर्तन की सुविधा अंतिम दो दिन उपलब्ध रहेगी)	13.07.2026 से 21.07.2026 रात्रि 11:45 बजे तक
कॉमन मेरिट सूची की उपलब्धता।	22.07.2026
आवंटन पत्रों की ऑनलाइन उपलब्धता/आवंटित संस्था में उपस्थिति (आवंटित संस्था में मूल दस्तावेजों का सत्यापन एवं प्रवेश)	27.07.2026 से 31.07.2026 सायं 6:30 बजे तक
संस्था स्तर की काउंसलिंग (CLC)	
ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन	**प्रवेश के अवसर का दिनांक/समय**
02.08.2026 से 05.08.2026	06.08.2026 प्रात: 10:30 बजे से सायं 6:30 बजे तक
उपरोक्त काउंसलिंग उपरान्त रिक्त रह गई सीटों के लिये	
07.08.2026 से 10.08.2026	11.08.2026 प्रात: 10:30 बजे से सायं 6:30 बजे तक
उपरोक्त काउंसलिंग उपरान्त रिक्त रह गई सीटों के लिये	
12.08.2026 से 14.08.2026 अंतिम तिथि को रजिस्ट्रेशन दोपहर 12:30 बजे तक रहेगा	14.08.2026 प्रात: 10:30 बजे से सायं 06:30 बजे तक

नोट:- प्रथम चरण के उपरान्त मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (Master of Technology) एवं मास्टर ऑफ प्लानिंग (Master of Planning) पाठ्यक्रमों में प्रथमतः प्रवेश परीक्षा के वैध स्कोर (Valid Score Entrance Exam) तत्पश्चात अर्हकारी परीक्षा के आधार पर आवंटन किया जावेगा।

- मास्टर ऑफ टेक्नोलॉजी (Master of Technology) पाठ्यक्रम में गेट (GATE), मास्टर ऑफ प्लानिंग (Master of Planning) पाठ्यक्रम में गेट/नेट (GATE/NET) प्रवेश परीक्षा रहेगी।
- प्रवेश नियम, विस्तृत समय-सारणी, अभ्यर्थी के लिये महत्वपूर्ण निर्देश, अधिकृत सहायता केन्द्रों की सूची आदि वेबसाइट **dte.mponline.gov.in** पर उपलब्ध है। काउंसलिंग में सम्मिलित होने के पूर्व इनका सूक्ष्मता से अध्ययन कर लें।
- संस्था स्तर की काउंसलिंग में **इच्छुक संस्था में प्रवेश का अवसर प्राप्त करने के लिये** निर्धारित तिथि पर संस्था में प्रातः 10:30 से दोपहर 1:00 बजे तक उपस्थित हुए अभ्यर्थियों की मेरिट तैयार कर, तदुपरान्त मेरिट के अनुसार प्रवेश किये जायेंगे।

प्रवेश निरस्त

- काउंसलिंग के किसी भी चरण में प्राथमिकताक्रम का ऑनलाइन चयन कर लॉक करने की अंतिम दिनांक/समय से आवंटन जारी होने तक तथा संस्था स्तर की काउंसलिंग (CLC) में, प्रवेश का अवसर प्राप्त करने की दिनांक को, प्रवेश निरस्तीकरण की सुविधा उपलब्ध नहीं रहेगी।
- **संपर्क:-0755-6720205, 2660441 ई-मेल:- dte.helpcenter@mp.gov.in**

अतिरिक्त संचालक
तकनीकी शिक्षा, मध्यप्रदेश

म.प्र. माध्यम/126404/2026